

## EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--डप-खण्ड (i) PART II -- Section 3 -- Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] No. 481

नई दिल्ली, बुक्वार, फरवरी 9, 2005/माम 20, 1926 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2005/MAGHA 20, 1926

# वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग्)

(भारतीय रिवार्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

# अधिस्चना

मुम्बई, 5 जनवरी, 2005

सं. फेमा. 127/आरबी-2004

# विदेशी मुद्रा प्रबंच (विदेशी मुद्रा में ठथार लेगा अथवा देना)(संशोधन) विनियमावली, 2005

सा.का.नि. 60(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उप-धारा 3 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा मई 3, 2000 की इसकी अधिसूचना सं. फेमा 3/2000-आरबी, समय-समय पर यथा संशोधित, में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः,

# संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2005 कहलाएगी।
- (ii) यह मार्च 24, 2004\* से लागू समझी जाएगी।

## विनियमावली में संशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 में ''विनियम 4 के उप-विनियम 2, खण्ड (ii) निकाल दिया जाए और आगे के खण्डों को (ii) और (iii) क्रम संख्या दी जाए।"

> [फा. सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-[[]] एफ.आर. जोसफ, मुख्य महाप्रबन्धक

# पाद टिप्पणी :

यह उस तारीख का उल्लेख है जिस तारीख को मार्च 24, 2004 के एपी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 81 द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को निदेश जारी किए गए थे। यह परिपन्न विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंकों के बाह्य वाणिण्यिक उधार सहित कुल विदेशी उधार को युक्ति संगत बनाने और निगरानी करने के लिए जारी किया गया है।

मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के सा.का.नि. सं. 386(अ) में भाग (2), धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् अगस्त 5, 2000 के सं. सा.का.नि. 674(अ), जुलाई 8, 2002 के सं. सा.का.नि. 476(अ), दिसम्बर 31, 2002 के सं. सा.का.नि. 854(अ), जुलाई 9, 2003 के सं. सा.का.नि. 531(अ), जुलाई 9, 2003 के सं. सा.का.नि. 533(अ), मार्च 23, 2004 के सं. सा.का.नि. 208(अ) तथा दिसम्बर 22, 2004 के सं. सा.का.नि. 825(अ) द्वारा संशोधित किया गया

# MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office) NOTIFICATION

Mumbai, the 5th January, 2005

(No. FEMA 127/2005-RB)

Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2005.

G.S.R. 60(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section 3 of Section 6 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (Act 42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 3/2000-RB dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000, as amendment from time to time, namely :--

Short title and Commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2005.
- (ii) They shall be deemed to have come into force from March 24, 2004.\*

Amendment of the Regulations

2. In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000. "In Regulation 4, sub-regulation 2, clause (ii) shall be deleted and the subsequent clauses shall be renumbered as (ii) and (iii) respectively."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. III] F. R. JOSEPH, Chief General Manager

Foot Note:

- \*1. This date has been mentioned since the directions were issued to authorised dealers vide A.P. (DIR Scries) Circular No. 81 dated March 24, 2004. This circular was issued to rationalise and monitor the total overseas borrowings including External Commercial Borrowings of banks that are authorised to deal in foreign exchange.
- 2. The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. 386(E) dated May 5, 2000 in Part (ii), Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide No. G.S.R. 674(E) dated August 5, 2000, No. G.S.R. 476(E) dated July 8, 2002, No. G.S.R. 854(E) dated December 31, 2002, No. G.S.R. 531(E) dated July 9, 2003, No. G.S.R. 533(E) dated July 9, 2003, No. G.S.R. 208(E) dated March 23, 2004, No. G.S.R. 825(E) dated December 22, 2004.

# अधिसूचना

मुम्बई, 20 जनवरी, 2005

(सं. फेमा. 129/2005--**आ**र**बी**)

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी)(आशोधन) विनियमावली, 2005

सा.का.नि. 61(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा 3 के खण्ड (ञ) और धारा 47 की उप-धारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 3 मई, 2000 की इसकी अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-पारबी, में आंशिक संशोधन करते.हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000, में भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित आशोधन करता है, र्थात् :--

# प्रयत नाम और प्रारम्भ :

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (आशोधन) विनियमावली, 2005 कहलाएगी।
- (ii) यह आशोधन नवम्बर 1, 2004 @ से लागू समझे जाएंगे।

# गावली में आशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 में, विनियम 4 के उप-विनियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा

(134) ''प्राधिकृत व्यापारी, मालों के आयात के लिए भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा लिए गए किसी ऋण, दायित्व और अन्य देयता जो भारत के बाहर के निवासी को (मालों के विदेशों आपूर्तिकर्ता, बैंक अथवा वित्तीय संस्था होने के कारण) देय है, के संबंध में गारंटी, वचनपत्र और लेटर ऑफ कंफर्ट, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा घोषित विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत और समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित नियमों और शर्तों के अथीन दे सकता है।''

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-III] एफ.आर. जोसफ, मुख्य महाप्रबन्धक

#### पाद टिप्पण :

- (i) @यह उस तारीख का उल्लेख है जिस तारीख को इस विनियम/विनियमावली द्वारा कवर किए गए निर्णय, 1 नवम्बर, 2004 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 24 जारी करने पर प्रभावी हो गए हैं।
- (ii) मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के सा.का.नि. 391(अ) में भाग II, धारा 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई है और तत्पश्चात् अगस्त 19, 2002 के सं. सा.का.नि. 575(अ)तथा नवम्बर 16, 2004 के सं. सा.का.नि. 745(अ) द्वारा आशोधित किया गया है।

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 20th January, 2005

#### No. FEMA 129/2005-RB

## Foreign Exchange Management (Guarantees) (Amendment) Regulations, 2005

G.S.R. 61(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of Sub-section 3 of Section 6, Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial Modification of its Notification No. FEMA. 8/2000-RB dated 3rd May, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000, namely:—

## 1. Short title and Commencement:

- These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) (Amendment) Regulations, 2005.
  - (ii) They shall be deemed to have come into force from November 1, 2004.@

### 2. Amendment of the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 after Sub-regulation (1) of Regulation 4, the following sub-regulation may be inserted, namely:—

(1A) "An Authorised Dealer may give guarantee, Letter of Undertaking or Letter of Comfort in respect of any debt, obligation or other liability incurred by a person resident in India and owed to a person resident outside India (being an overseas supplier of goods, bank or a financial institution), for import of goods, as permitted under the Foreign Trade Policy announced by the Government of India from time to time and subject to such terms and conditions as may be specified by Reserve Bank from time to time."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. III]

F. R. JOSEPH, Chief General Manager

#### Foot Note:

- (i) @This has been mentioned as the date on which the decision/s covered by the Regulation/s became effective on the issue of A.P. (DIR Series) Circular No. 24 dated November 1, 2004.
- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 391(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide No. G.S.R. 575(E) dated August 19, 2002 and No. G.S.R. 745(E) dated November 16, 2004.